निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 30/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सुमन देवी शर्मा पत्नी श्री महेश चन्द शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 39, बजरंग विहार कालोनी, बीकॉन स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (06 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 12.400 किलोग्राम, दो इलेक्ट्रोनिक मोटर मय रबड पाईप व नोजल एवं 02 रेग्यूलेटर को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पुनित पारीक अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय — दिनांक 09.06.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 01.05.2024 को **प्लाट नम्बर 39, बजरंग विहार कालोनी, बिकॉन स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर की जांच की गई। जांच करने पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (06 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) क्षमता 14.2 किलोग्राम 02 इलेक्ट्रोनिक मोटर मय रबड पाईप व रेग्यलेटर रखे पाये गये।** अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से ओला एवं उबर कार में 70 रूपये प्रति किलो की दर से घरेलू गैस भरकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिनको जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 13.05.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री पुनित पारीक अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **प्लाट नम्बर 39, बजरंग विहार कालोनी, बिकॉन स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर पर अप्रार्थी श्रीमती सुमन देवी शर्मा** की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल **08 घरेलू गैस सिलेण्डर (06 एचपीसीएल 02 बी.पी.सी.एल.) क्षमता 14.2 किलोग्राम एवं दो इलेक्ट्रोनिक मोटर**

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मय रबड पाईप व नोजल एवं 02 रेग्यूलेटर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से इलेक्ट्रोनिक मोटर की सहायता से 70 रूपये प्रति किलो की दर से ओला एवं उबर कार में एल.पी.जी. भरकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर **मैसर्स सीमा भारत गैस जयपुर** के प्रतिनिधि **श्री सागर मल चौधरी पुत्र श्री गिधाराम चौधरी को** को बुला कर तौल कराया गया। **तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में 12.400 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई।** मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है। सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 01.05.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर **प्लाट नम्बर 39, बजरंग विहार कालोनी, बिर्कोन स्कूल के पास, मुरलीपुरा, जयपुर पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (06 एचपीसीएल 02 बी.पी.सी.एल.) क्षमता 14.2 किलोग्राम एवं दो इलेक्ट्रोनिक मोटर मय रबड पाईप व नोजल एवं 02 रेग्यूलेटर पाये गये।** घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावासायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **08 घरेलू गैस सिलेण्डर (06 एचपीसीएल 02 बी.पी.सी.एल.) क्षमता 14.2 किलोग्राम मय एल.पी.जी. 12.400 किलोग्राम एवं दो इलेक्ट्रोनिक मोटर मय रबड पाईप व नोजल एवं 02 रेग्यूलेटर पाये गये** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 13.05.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर